केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

सं.27013/01/2016-हिन्दी/140 दिनांक 5 मई, 2018

परिपत्र

विषय:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी निर्देश हिन्दी में जारी करने के संबंध में ।

अध्यक्ष केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2018 को संपन्न विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 84वीं बैठक में हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने हेतु लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किए जाने वाले निर्देशों को हिन्दी में भेजने हेतु कवर पत्रों का प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न है जो विधि प्रभाग द्वारा पुनरीक्षण (vetting) किया गया है

अत: सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का सख्ती से पालन करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किए जाने वाले सभी निर्देशों को संलग्न कवर पत्र में भर कर भेजें, जिससे राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त किए जा सकें ।

05/05/18
(शीतल प्रसाद)
प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.)

वितरण:-

1. सभी प्रभाग प्रभारी, मुख्यालय दिल्ली
2. अध्यक्ष के निजी सचिव
3. सदस्य सचिव के निजी सचिव
4. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल / बंगलुरु / लखनऊ / कोलकाता / शिलांग / वडोदरा / प्रोजेक्ट ऑफिस आगरा
5. प्रभारी आई. टी. प्रभाग – ***कार्यालय के इंट्रा-पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।***
6. कार्यालय प्रति
7. मास्टर फ़ाइल (रा.भा.)

05/05/18
(शीतल प्रसाद)
प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

फा. स. ____________________ दिनांक__________

सेवा में,

____

____

____

____

विषय : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने के संबंध में।

महोदय,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत आपके उद्योग मैसर्स ------------------

----

को बन्दकरने का निर्देश जारी किया जाता है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(   )

अपर निदेशन एवं प्रभारी आई.पी.सी.-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

फा. स. ____________________ दिनांक __________

सेवा में,

____
____
____
____

विषय : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने के संबंध में।

महोदय,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत आपके उद्योग मैसर्स ------------------
....

को बन्द करने का निर्देश, जो अग्रेसित पत्र संख्या ______________________ दिनांक ____________ संग निर्देश संख्या ______________________ दिनांक ____________ को जारी किया गया था, वह वापस लिया जाता है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

( )

अपर निदेशन एवं प्रभारी आई.पी.सी.-